

## न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारी:- रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:- /2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
ओमाराम पुत्र श्री लूणाराम जाति जाट, निवासी जाटीपुरा, ओसियां तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।		तहसीलदार, ओसियां


प्रार्थी की ओर से :- अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार चौधरी उपस्थित।

अप्रार्थी की ओर से :- सरकारी पैरोकार।

--:निर्णय:-

दिनांक:- 12/3/22

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि:- प्रार्थी व अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी भूमि तहसील ओसियां के ग्राम भवानीसिंहनगर की सरहद में खसरा नम्बर 1511 रकबा 24.1192 हैक्टेयर व 1511/2 रकबा 0.0405 हैक्टेयर की आई हुई है। वर्तमान में ऑनलाईन जमाबन्दी दर्ज करते वक्त भूलवश प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश पुत्र श्री लूणाराम 1/72 हिस्सा जाति जाट सा. कपुरिया दर्ज कर दिया जो सरासर गलत है। प्रार्थी के तमाम दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि में प्रार्थी का नाम ओमाराम पुत्र लूणाराम दर्ज है तथा प्रार्थी ग्राम जाटीपुरा का निवासी है। उक्त राजस्व रेकॉर्ड में नाम त्रुटि केवल मात्र राजस्व कर्मचारियों की भूल के कारण हुई जो सद्भाविक भूल के कारण हुई हैं। जो वर्तमान में उसी अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हैं। राजस्व रेकॉर्ड में रही त्रुटि को लेकर प्रार्थी को भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिस वजह से प्रार्थी अपनी भूमि पर भूमि सुधार कार्य करने बाबत तमाम कार्य रुके हुए पड़े हैं। उक्त राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी के नाम को शुद्ध दर्ज करवाने हेतु हल्का पटवारी व तहसीलदार ओसियां को निवेदन किया लेकिन उन्होंने त्रुटि सुधारने से इन्कार कर दिया और कहा कि उक्त त्रुटि सुधारने बाबत उपखण्ड अधिकारी ओसियां से आदेश लेना आवश्यक हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी व अन्य की संयुक्त खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि तहसील ओसियां के ग्राम भवानीसिंहनगर की सरहद में खसरा नम्बर



न्यायालय सहायक कलेक्टर, ओसियां

1511 रकबा 24.1192 हैक्टेयर व 1511/2 रकबा 0.0405 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश पुत्र लुणाराम 1/72 जाति जाट, सा. कपुरिया खातेदार के स्थान सही नाम ओमाराम पुत्र लुणाराम 1/72 जाति जाट, सा. जाटीपुरा, ओसियां दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये रजिस्टर्ड नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी का नाम व पता राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज हो रखा है जिसे शुद्ध किया जाना उचित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

--:आदेश:--

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि तहसील ओसियां के ग्राम भवानीसिंहनगर की सरहद में खसरा नम्बर 1511 रकबा 24.1192 हैक्टेयर व 1511/2 रकबा 0.0405 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश पुत्र लुणाराम 1/72 जाति जाट, सा. कपुरिया खातेदार के स्थान सही नाम ओमाराम पुत्र लुणाराम 1/72 जाति जाट, सा. जाटीपुरा दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।



आज दिनांक 12/3/22 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां